

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(1)न्याय/19

जयपुर, दिनांक 08.03.2019

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा के श्री मान सिंह चौहान, उप विधि परामर्शी एवं उपनिदेशक विधि, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर का उप विधि परामर्शी, निदेशालय, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, जयपुर के रिक्त पद के विरुद्ध प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से एतद्वारा किया जाता है।


आज्ञा से

एव -

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के क्रम में संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. श्री मान सिंह, उप विधि परामर्शी एवं उपनिदेशक, विधि, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अविलम्ब कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थल पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को तुरन्त भिजवायें।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


8.3.19
संयुक्त शासन सचिव